अनवान चरण सिंह व अन्य बनाम आशुदीबाई व अन्य

वाद पत्र संख्या 023/2024

23.04.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि वादीगण द्वारा उक्त शीर्षक का वाद व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया हुआ है। वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्डाधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 30–06–2023 को पेश किया गया था जिस पर कार्यालय तहसीलदार भू.अ. श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 23–02–2024 को चक 1 एच बड़ा के खाता संख्या 39/52 के मुरब्बा नं. 48 किला नं. 13, 18, 23 में जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट इस आश्य की दी अप्रार्थीगण मुरब्बा नं. 61 में 2.125 है0 एवं मुरब्बा नं. 48 में 3.137 है0 कब्जा काश्त में चले आ रहे और अन्त में विस्तृत रिपोर्ट दी कि अप्रार्थीगण के जमाबन्दी दर्ज हिस्सा 3.632 हैक्टयर के बजाय 3.137 हैक्टयर कब्जा काश्त में हैं। अप्रार्थीगण 1.012 है0 रकबा पर अधिक काबिज हैं। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष कानूनी व सही तथ्य प्रस्तुत करने आवश्यक थे इसलिए वादीगण वाद पत्र में पैरा संख्या उन कथनों के साथ निम्न कथन जरिये संशोधन जोड़े जावें:– वादीगण मुरब्बा नं. 48 में खातेदारी भूमि 333/1754, 333/1754 कब्जा काश्त में हैं। विस्तृत रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि प्रतिवादीगण वादीगण के खाता सं. 39/52 के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 13, 18, 23 प्रतिवादीगण के नाम से नहीं हैं और ना ही उनको उक्त किलाजात का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं हैं इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी खाता संख्या 39/52 के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 13, 18, 23 आ रहे थे परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त कृषि भूमि में नाजायज रूप से काश्त करने में रूकावट डालते थे और धमकी देते थे कि यदि इन किलों में आये तो जान से खत्म कर देगें इस संबंध में प्रतिवादीगण को पूर्व में भी पुलिस द्वारा पाबन्द किया गया था कि वह वादीगण की उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार से दख्लांदाजी ना करे परन्तु वर्तमान में वह दख्लांदाजी कर रहे हैं इसलिए वादीगण की कृषि भूमि खाता संख्या 39/52 के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 13, 18, 23 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दख्लांदाजी ना करे और उनको पुलिस द्वारा पाबन्द किया जावें कि वादीगण की उक्त कृषि भूमि में आने–जाने में किसी प्रकार की बाधा न डाले तथा वादीगण प्रतिवादीगण की भूमि में नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की काश्त की हुई फसल उठा ले जाते थे इसलिए वादीगण बतौर मिन फायदा 18,000/– रूपये प्रतिबीघा के हिसाब पिछले 3 साल का क्लेम करते हैं और न्यायालय कोई न्यायशुल्क निर्धारित करेगी वह अदा करने के पाबन्द रहेगें तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण के कब्जा काश्त में आने–जाने में कृषि भूमि खाता सं. 39/52 के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 13, 18, 23 में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। स्थाई निषेधाज्ञा वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के खिलाफ जारी की जावे कि खाता सं. 39/52 के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 13, 18, 23 में किसी प्रकार की दख्लांदाजी व आने–जाने में बाधा डालने से निषेध रहे। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सहपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद पत्र में पैरा संख्या 05 अन्त में जोड़ने का आदेश फरमाया जावें और संशोधन स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि वादीगण द्वारा उक्त शीर्षक का वाद अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा कोई प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो व जिस पर मौका की रिपोर्ट मंगवाई गई हो इस तथ्य की जानकारी अप्रार्थीगण को नही है। तहसीलदार व हल्का पटवारी द्वारा मौका पर जाकर कोई जांच की गई हो इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नही है। जांच करते वक्त ना तो अप्रार्थीगण के समक्ष मौका पर कब्जा काश्त की जांच की गई और ना ही अप्रार्थीगण को मौका पर बुलाया गया, अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सानुसार व समस्त हिस्सेदारान के सहमति वरजामन्दी से अपने हिस्सा पर कब्जा काश्त है व किसी अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:15:59 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सेदार के कब्जा काश्त की भूमि में कोई दखलअन्दाजी नही की जा रही है। प्रार्थी मद संख्या 05 में किसी प्रकार का कोई संशोधन करवाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के कब्जा काश्त में समस्त सहहिस्सेदार की सहमति व रजामन्दी से मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 9, 10, 11, 12 सालम, किला नं. 13/5 के 0.10 1 है0 व 18 ता 23 सालम पर कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी संख्या 04 व 05 ने मुरब्बा नं. 48 में अपने कब्जा काश्त की भूमि में किला नं. 22 व 23 के मध्य पानी की पक्की डिग्गी अपने स्वयं के खर्चा पर बना रखी है तथा किला नं. 23 में एक पक्का कमरा व रसोई बना रखी है तथा किला नं. 23 में एक टयूबवैल लगा रखा है जिस पर सौर ऊर्जा की प्लेटे अप्रार्थी संख्या 04 व 05 ने अपने स्वयं खर्चा पर लगा रखी है तथा किला नं. 22 ता 25 व किला नं. 21 ता 22 के मध्य पक्का खाला सिंचाई सुविधा के लिये बना रखा है। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 ने काफी पैसा खर्च कर तथा मेहनत कर उक्त भूमि को समतल व उपजाऊ बनाया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा अन्य हिस्सेदारान की कृषि भूमि में नाजायज रूप से काश्त करने में रूकावट डालने या धमकी देने की कभी कोशिश नही की और ना ही वर्तमान में कोई दखलअन्दाजी की गई है। प्रतिवादीगण अपने अपने कब्जाशुदा कृषि भूमि में शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। वादीगण अप्रार्थीगण से 1800 रूपये प्रति बीघा के हिसाब से पिछले 3 साल का क्लेम प्राप्त करने के अधिकारी नही है और ना ही अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि के लिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 23.02.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा से अधिक रकबे पर बिना किसी आधार के कब्जा काश्त में है। इसी रिपोर्ट के आधार पर वादी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रकिया संहिता के जरिये बिन्दु संख्या 05 के अन्त में संशोधन जोडे जाने बाबत निवेदन किा है। वाद का तय होना तो तनकीयात व साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही निर्भर है परन्तु इसी स्तर पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित जवाब वादपत्र दिनांक 05.05.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:15:59 IST
Reason: SelfAttested